राजस्थान सरकार

( कायदा – 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/137

| किस्म मुकदमा<br>1 | नंबर मुकदमा<br>2 | तारीख दायर<br>3 | तारीख फैसला<br>4 | पेशी दिनांक<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 111-128 | 76/24 | 3/4/24 | [illegible] 23/04/24 | 18/4/24 |

अनवान

श्री हीरालाल /भंवरलाल धाकड़ श्री जैलाल / भंवरलाल धाकड़

निवासी गणेशपुरा निवासी गणेशपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री जगदीश धाकड़ श्री

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: हीरालाल बनाम जैलाल

किस्म मुकदमा – III-128 प्रा/जा/फ नम्बर 76/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03/04/2024 | प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/04/2024 को पेश हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बिजौलियां | |
| 18/04/24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 23/04/24 को पेश हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा | |
| 23/04/24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश पारित किए गए जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाए गए। एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा | |

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

दिनांक 03/04/2024

प्रकरण संख्या –76/2024

हीरालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 ........प्रार्थी

बनाम

1. जैलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. भौज्या पिता भेरूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी कॉमा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
3. गुलाबी पत्नि स्व0 खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. धन्ना पिता जग्गनाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : – दिनांक 23/04/2024

प्रार्थना पत्र मैं हीरालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम सरकी कुंडी पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 43 पर अंकित आराजी 120/93, 93 किता 02 रकबा 0.7608 हैक्टेयरं भुमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टंर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक उमा जी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि मौजा ग्राम सरकी कुंडी पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 43 पर अंकित आराजी 120/93, 93 किता 02 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

**उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)**

प्रकरण संख्या –76/ 2024 दिनांक :–03/04/2024

प्रेषिति :–

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या 76/ 2024 पत्थरगढी बाबत् ।

हीरालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थी

**बनाम**

1. जैलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. भौज्या पिता भेरूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी कॉमा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. गुलाबी पत्नि स्व0 खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. धन्ना पिता जग्गनाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

...........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम सरकी कुंडी पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 43 पर अंकित आराजी 120/93, 93 किता 02 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु–अभिनिरक्षिक उमा जी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 500/ रू की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाडा